बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001

(पंजीयन सं. – 633 / 2003)

Websitie : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com,

कार्य. अध्यक्ष

* सुरेश पासवान

मो.– 9431468605

महासचिव.

* सुशील कुमार

मो. – 9431091417, Email shushilkumar09@gmail.com

संयुक्त सचिव
* राजयनन्द वार्डियार
* अनिल कुमार

कोषाध्यक्ष
* चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष
* विनोद आनन्द

पत्रांक 49 दिनांक 26-12-2016

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार सरकार।

विषय :– सातवें वेतन हेतु गठित वेतन समिति के संदर्भ में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक सादर कहना है कि सातवें वेतन की सरलता को देखते हुए बगैर आयोग का गठन किये भी इसका लाभ दिया जा सकता है। या फिर वेतन समिति का गठन कर शीघ्रता से लागू किया जा सकता है।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सरकार द्वारा सातवें वेतन को 01.01.2016 की तिथि से लागू किया गया है। झारखण्ड, असम एवं उड़िसा सरकार द्वारा Fitment Committee का गठन किया गया है। संघ का भवदीय से विनम्र अनुरोध है कि गठित आयोग को ससमय (तीन माह में) प्रतिवेदन देने एवं इसे 01.01.2016 की तिथि से लागू करने पर विचार करने की महत्ती कृपा की जाय।

2. सातवें वेतन को लागू करने से पूर्व छठा वेतनमान को लागू करने के क्रम में कुछ कार्रवाई अभी भी लम्बित रह गई है। उदाहरण स्वरूपः–

(i) Bunching का लाभ नहीं दिया गया जबकि पंचम वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त प्राप्त हो रहे वेतन के दो या दो अधिक बैंच के पदाधिकारी का छठे वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त वेतनमान एक हो जाने की स्थिति में यह लाभ दिये जाने का प्रावधान है।

(ii) छठा पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने के क्रम में बि0प्र0से0 के पदाधिकारियों की प्रथम नियुक्ति PB-2 GP-5400 एवं चार वर्ष की सेवा पूरी होने पर PB-3 GP-5400 के परिवर्त्तन की अनुशंसा को सरकार द्वारा अनुमान्य किया गया था, परन्तु वित्त विभाग द्वारा इस परिवर्त्तन का प्रथम Modified वित्तिय उन्नयन परिभाषित कर दिया गया है, जो रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधान के प्रतिकूल है।

(iii) जिन बैंच के पदाधिकारी की नियुक्ति वर्ष 2006 के पूर्व हुई है, उदाहरण स्वरूप 41वीं एवं 42वीं बैंच के पदाधिकारी की नियुक्ति का वर्ष क्रमशः 1999 एवं 2000 में हुई है, इन बैंच के पदाधिकारी पर भी उपरोक्त कंडिका (ii) की व्याख्या के अनुरूप रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के लाभ से वंचित किया गया है जो नियमानुकुल नहीं है, क्योंकि कोई अहितकारी प्रावधान का भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हो सकता है।

भवदीय से संघ विनम्र अनुरोध करता है कि उपर्युक्त तीनों वर्णित बिन्दुओं पर नियमानुकुल कार्रवाई करने का निदेश सम्बन्धित को देने की महती कृपा की जाय।

(सुशील कुमार)
महासचिव

26/12/16

(सुरेश पासवान)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, वित्त विभाग को उपरोक्त बिन्दु पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव

प्रतिलिपिः— सम्पादक, सभी दैनिक समाचार पत्रों हिन्दी/अंग्रेजी को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव